छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/4/2022

:: **कार्यालय आदेश** ::

क्रमांक 444 /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2022 – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 43वीं बैठक दिनांक 24.05.2018 में लिये गये निर्णय के पालन में मंडल के कार्यालय आदेश क्रमांक 2070/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2018, दिनांक 29.05.2018 के द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों की रिसायक्लिंग/रि–प्रोसेसिंग/यूटिलाईजेशन करने वाले उद्योगों की स्थापना के नियंत्रण के संबंध में नीतिगत निर्णय लेते हुए 06 बिन्दुओं पर आदेश जारी किये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रजनीश अवस्थी विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ (डब्ल्यू. पी.पी.आई.एल. 26/2020) में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2021 के परिपेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 48वीं बैठक दिनांक 08.06.2021 एवं 50वीं बैठक दिनांक 18.02.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को यह समाधान हो गया है कि आदेश क्रमांक 2070/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2018, दिनांक 29.05.2018 में संशोधन की आवश्यकता है।

अतः मंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक 2070/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2018, दिनांक 29.05.2018 के बिन्दु क्रमांक–1, 2 एवं 3 को विलोपित करते हुए उनके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

1. वर्तमान में स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार/प्रस्तावित उद्योग, जो अन्य प्रदेशों और/अथवा प्रदेश में उत्पादित/जनित परिसंकटमय अपशिष्टों को आयात/उपयोग कर रिसायकलिंग/रि–प्रोसेसिंग/यूटिलाईजेशन करना चाहते हैं, ऐसे उद्योगों को जल एवं वायु सम्मति तथा प्राधिकार निम्न स्थितियों के अधीन जारी किया जावेगा:–
   (अ) जब परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले इकाई(यों) से परिसंकटमय अपशिष्ट प्रतिवर्ष मात्रा की उपलब्धता की लिखित में जानकारी लेकर मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा।
   (ब) प्रदेश में उत्पादित/जनित परिसंकटमय अपशिष्टों के रिसायकलिंग/रि–प्रोसेसिंग/यूटिलाईजेशन को प्राथमिकता देने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
   (स) जब परिसंकटमय अपशिष्टों के रिसायकलिंग/रि–प्रोसेसिंग/यूटिलाईजेशन उपरांत (1) कोई परिसंकटमय अपशिष्ट शेष नहीं बचता हो; अथवा (2) कोई परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न होता हो तो उसके नियमानुसार अपवहन (Disposal) हेतु केप्टिव व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये अथवा (3) कोई परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न होता हो तो उसका नियमानुसार अपवहन (Disposal) अन्य राज्यों में स्थापित कॉमन टी.एस.डी.एफ. में करने की दशा में संबंधित फेसिलिटी ऑपरेटर से अनुबंध पत्र एवं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में सम्मति

हेतु आवेदन के साथ ही प्रस्तुत किया जायेगा। केप्टिव डिस्पोजल फेसिलिटी बनाये जाने की दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर इस हेतु जारी गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा एवं ऐसे उद्योगों को संचालन सम्मति प्रदान करने पर तभी विचार किया जायेगा, जब उनके द्वारा नियमानुसार केप्टिव डिस्पोजल फेसिलिटी की स्थापना पूर्ण कर ली गई हो।

2. परिसंकटमय अपशिष्टों की रिसायक्लिंग/रि–प्रोसेसिंग/यूटिलाईजेशन करने वाले उद्योगों **"(नये अथवा पूर्व स्थापित उद्योग के नवीनीकरण/क्षमता विस्तार/शवलीकरण आदि) को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016"** के अंतर्गत् प्राधिकार **सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल** के अनुमोदन उपरांत जारी किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश कमांक 2070/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./ 2018, दिनांक 29.05.2018 के बिन्दु कमांक–4, 5 एवं 6 यथावत् लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावेगा।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ. कमांक /मु./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2022

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर/बिलासपुर /दुर्ग/रायगढ़/कोरबा/जगदलपुर/अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर। निर्देशित है कि उक्त आदेश को वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करें।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
5. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)